परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित ''राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति'' की दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को सम्पन्न हुई 25वी बैठक का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित ''राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति'' की 25वी बैठक मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 08 अक्टूबर 2025(दिन–बुधवार) को अपराह्न 3:00 बजे अध्यक्ष महोदया के कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमे अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही:–

(1) डा० पवन कुमार अरूण, महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ। – संयोजक

(2) डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन),
परिवार कल्याण महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ। – सदस्य सचिव

(3) डा० कंचन गुप्ता, कन्सलटेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय,गोलागंज, लखनऊ। – सदस्य

(4) डा० सुरम्या पाण्डेय, वरिष्ठ परामर्शदाता,
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,हजरतगंज, लखनऊ। – सदस्य

(5) डा० सूर्यांशु ओझा,महाप्रबन्धक(प०क०),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। – विशेष आमंत्रित

(6) डा० रिंकू श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक प्रभारी (प्रशिक्षण एवं एस0डी0)
सिफ्सा, लखनऊ। – विशेष आंमत्रित

डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा राज्य स्तरीय उपसमिति को यह अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के पश्चात 51 जनपदों से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 713, जटिलता के 02 व मृत्यु के 07 कुल 722 पूर्ण दावा प्रपत्र निदेशालय को प्राप्त हुए है, जिनका परीक्षण 1. डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक, परिवार नियोजन 2. डा० कंचन गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ एवं 3. डा० सुरम्या पाण्डेय, सर्जन, सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा किया गया है।

राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए सर्वसम्मति से बैठक में प्रस्तुत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण से सम्बन्धित 713, जटिलता से सम्बन्धित 02 व मृत्यु से सम्बन्धित 07 कुल 722 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 38 अस्वीकृत पाये गये दावा प्रपत्र (जिसका कारण ''नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि होने की तिथि से 90 दिन के भीतर क्लेम न किया जाना है'') को छोड़कर शेष स्वीकृत पाये गये 684 दावा प्रपत्र (जिसमे 675 गर्भधारण के, 2 जटिलता के व 7 मृत्यु के है) का कुल बजट रू० 4,18,70,000/– (रू० चार करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार मात्र) सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करने की संस्तुति प्रदान की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. **एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने वाले बजट का विवरण:–**

	शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण										
A	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
	31	0	0	31	30000	25000	200000	9,30,000	0	0	9,30,000

	शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण										
B	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
	644	2	7	653	60000	50000	400000	19320000	50000	1100000	20470000

इस तरह बिन्दु संख्याः A + B को जोड़कर कुल 684 दावा प्रपत्रों की कुल धनराशि रू० 2,14,00,000.00 (रू० दो करोड़ चौदह लाख मात्र) एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किया जाना है।

2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने वाले बजट का विवरणः–**

	शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण										
	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
1	644	2	7	653	60000	50000	400000	19320000	50000	1100000	**20470000**

शासानादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित दावा 653 दावा प्रपत्रों की 50 प्रतिशत धनराशि रू० 2,04,70,000/-(रू० दो करोड़ चार लाख सत्तर हजार मात्र) परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त डा० सूर्याशु ओझा, महाप्रबन्धक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदया को यह अवगत कराया गया है कि बैठक में स्वीकृत हुए 684 दावा प्रपत्रों का भुगतान एन०एच०एम० स्तर से किया जाना है, जिसका बजट रू0 214.00 (लाख) है और वर्तमान में परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना हेतु एन०एम०एम० स्तर पर कुल सकल धनराशि रू0 213.42 (लाख) उपलब्ध है, अतः दावा प्रपत्रो के निस्तारण हेतु एन0एच0एम0 स्तर से रू० 58,000/– की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया कि एन०एच०एम० को पूर्व में वर्ष 2022–23 में प्राप्त राज्यांश बजट से अवशेष धनराशि 73.60 (लाख) को वर्ष 2025–26 हेतु कमिटेड किया गया है। अतः अध्यक्ष महोदया द्वारा दावा प्रपत्रों के निस्तारण हेतु शेष धनराशि रू० 58,000/– उपयोग राज्यांश बजट से कमिटेड की गई धनराशि रू0 73.60 लाख से करने की अनुमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में अन्य निम्न निर्देश भी दिये गयेः–

1. शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 से आच्छादित 31 दावा प्रपत्रों का पूर्ण बजट रू० 9,30,000/– (रू० नौ लाख तीस हजार मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 653 दावा प्रपत्रों का 50 प्रतिशत बजट रू० 2,04,70,000/– (रू० दो करोड़ चार लाख सत्तर हजार मात्र) इस तरह कुल 684 दावा प्रपत्रों का बजट रू० 2,14,00,000/– (दो करोड़ चौदह लाख मात्र) एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने हेतु बजट प्रस्ताव महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से उपलब्ध कराया जाए, ताकि एन०एच०एम० स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०)

2. शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 653 दावा प्रपत्रों का 50 प्रतिशत राज्य बजट रू० 2,04,70,000/– (रू० दो करोड़ चार लाख सत्तर हजार मात्र) सम्बन्धित जनपदों को परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से आवंटित किया जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०)

3. परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर से प्रस्तावित बजट का पुर्नगणना (Recalculation) करने के उपरान्त ही सम्बन्धित जनपदों को बजट आवंटित किया जाए।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

4. जिन जनपदों में असफल नसबन्दी के अत्यधिक केस दर्ज किए गए है, उन जनपदों में एन०एच०एम०/परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों का भ्रमण करके लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाये व उनका फीडबैक भी प्राप्त करें तथा केस अत्यधिक क्यो हो रहे है, इसकी समीक्षा भी की जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

5. महिला नसबंदी की मिनीलैप विधि को सरल, सुगम और लाभार्थी के लिए सुविधाजनक/अनुकूल बनाने के लिए राज्य द्वारा मिनीलैप नसबंदी विधा के सेवा प्रदाताओं के लिए एक अभिमुखीकरण किया जाए। इस अभिमुखीकरण में विशेषज्ञों द्वारा सेवप्रदाताओं को यह प्रमुखता से बताया जाए की मिनी लैप विधि से किये जाने वाली नसबन्दी की प्रक्रिया में लाभार्थी को होने वाले अत्यधिक दर्द को कैसे दर्दरहित(पेनफ्री) स्थिति में किया जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

6. नसबन्दी के पूर्व लाभार्थी को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों को पढ़कर सुनाया जाए तथा लाभार्थी/परिवारजन से लिखित में सहमति भी ली जाए, सम्बन्धी पत्र जनपदों को निर्गत किया जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय)

7. आगामी वित्तीय वर्ष से एन0एच0एम0 स्तर से हौसला साझीदारी परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में महानिदेशक प0क0 की अध्यक्षता में गठित कमेटी की दिनांक 06.05.25 को आहूत बैठक में दिये गये सुझाव कि हौसला साझीदारी में केवल कॉट टीम को ही पंजीकृत करते हुए ही सेवाएं ली जाये। इस सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026–27 में हौसला साझीदारी परियोजना के संचालन हेतु संशोधित किये जाने वाले शासनादेश में यह बिन्दु भी शामिल किया जाये कि परियोजना के अन्तर्गत प्राइवेट क्लीनिक की सेवाएँ न ली जाए। आगामी पी0आई0पी में इसके अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

8. आगामी होने वाली राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति की बैठको में सिफ्सा को भी सम्मिलित किया जाये।

(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

9. विगत 05 वर्षो के किसी 01 वर्ष में किसी चिन्हित जनपद के ऐसे ब्लॉक का चयन किया जाए जिसमे कि सरकारी/हौसला साझीदारी में एक्रेडिटेड प्राईवेट क्लीनिक/कॉट टीम द्वारा नसबन्दी का कार्य किया गया हो, उनके लाभार्थियों की सूची/विवरण मंगवा कर, उसका परीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किया गया।

Kanchan 16/10/25

(डा० कंचन गुप्ता)
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महि० चिकित्सालय,लखनऊ
सदस्य

16.10.25

(डा० सुरम्या पाण्डेय)
सर्जन,
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य

(डा० सूर्यांशु ओझा)
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ

15/10/25

(डा० उदय प्रताप)
संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव

16/10/25

(डा० पवन कुमार अरूण)
महानिदेशक,
संयोजक

(डा० पिंकी जोवल),
मिशन निदेशक,
अध्यक्ष